

फर्द अहकाम
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूमबर

थी श्री उममाता बनाम विपक्षी सखार
रस मुकदमा श. वा प्रकरण संख्या 64/2019

	कार्यवाही विवरण	
<p><u>05/03/25</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई/वादी प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/भ्रमण <u>प्रशासनिक कार्य</u> होने से पत्रावली दि <u>11/03/25</u> को पेश होवे।</p> <p style="text-align: center;">आज्ञा से <i>Abulha</i> रीडर उपखण्ड अधिकारी सलूमबर</p>	<p style="text-align: right;"><i>IA</i></p>
<p><u>11/03/25</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमयवक्षा उपस्थित। वकील वादीगण ने ज. प. आदेश 23 नियम 1 संपादित धारा- 151 ज. दि. का पेश कर आंकित किया कि वादीगण पुनः वाद पेश करने का आधिकार सुरक्षित रखते हुए अपना वाद विज्ञे करना चाहते हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आर्धना-पत्र स्वीकार कर वाद विज्ञे करने का आदेश प्रदान करे।</p> <p>वकील प्रतिवादी ने वादीगण के अंत आर्धना-पत्र पर NO objection आंकित करते हुए कोई आपत्ति नहीं होगा जाहिर किया।</p> <p>अतः वादीगण के निवेदन पर वादीगण का यह वाद विज्ञे किये जाने से इसी स्तर पर प्रकरण में कार्यवाही ऊप की जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसल नुमाए होकर दफ्तर द्या निर्णय शुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक कलक्टर सलूमबर जिला सलूमबर</p>	